सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 90 / 2017 अपील
पंजीयन दिनांक – 11.07.2017
निर्णय दिनांक – 27.02.2018

1. श्री करण सिंह पिता श्री फतहसिंह, निवासी करजीया, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमदं।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री नाथुसिंह पिता स्व. श्री भवानीसिंह चौहान राजपूत।
2. श्री कालुसिंह पिता स्व. श्री भवानीसिंह चौहान राजपूत।
3. श्री गोकलसिंह पिता स्व. श्री भवानीसिंह चौहान राजपूत
   सभी निवासीान–करजीया, तहसील नाथद्वारा, राजसमंद।
4. श्री पटवारी हल्का गुंजोल , तहसील नाथद्वारा।
5. तहसीलदार सा. नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा।
6. उपंजीयक महोदय, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा।

–रेस्पोडेण्ट

उपस्थित–

1– श्री कोमल पालीवाल – अधिवक्ता अपीलान्ट
2– श्री योगेन्द्र दशोरा – राज्य अभिभाषक
3.– श्री विश्वजीत सिंह कर्णावट– रेस्पों. संख्या 1 से 3 अनुपस्थित।

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार नाथद्वारा जिला राजसमंद दिनांक 27.02.2017 प्रकरण संख्या 58 / 2016.

निर्णय

दिनांक 27.02.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–75 के अन्तर्गत तहसीलदार नाथद्वारा जिला राजसमंद के निर्णय दिनांक 27.02.2017 प्रकरण संख्या 58/2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम करजीया में स्थित खसरा नम्बर 153 रकबा 0.03 बिस्वा का 3/4 तथा खसरा संख्या 50, 215 से 221 ,225, 226 कुल किताः–10, कुल रकबा 16 बीधा 15 बिस्वा का 1/2 हिस्सा का मूल खातेदार स्व.श्री मानसिंह जी थे। रेस्पों. संख्या 1 से 3 के पिता भवानी सिंह एवं उनके छोटे भाई मानसिंह दोनों सगे भाई थे। क्योंकि प्रार्थीगण के काका श्री मान सिंह का विवाह श्रीमति दलकुंवर के साथ हुआ था। शादी के एक वर्ष बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया था तथा उनकी एक मात्र विधवा श्रीमती दलकुँवर जो एक मात्र उत्तराधिकारी थी, उनके कोई पुत्र –पुत्री संतान नहीं थे। उनकी जो सम्पति अपने पति से प्राप्त हुई, जो उनकी स्व. अर्जित सम्पति थी, इस सम्पति में अन्य किसी की उत्तराधिकारी का हक हिस्सा नहीं था। जिसके परिणाम स्वरुप श्रीमती दलकुंवर ने पंजीकुत अन्तिम इच्छा पत्र. दिनांक 20.03.2013 जिसका उप पंजीयक कार्यालय नाथद्वारा में पंजीबद्ध किया गया। रेस्पों. संख्या 1 से 3 ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार नाथद्वारा के समक्ष दिनांक 26.05.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमती दलकुंवर का स्वर्गवास दिनांक 10.05.2015 को हो चुका है। जिससे पंजीकृत वसीयत अनुसार भूमि रेस्पो. संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज की जावे। तहसीलदार नाथद्वारा ने वसीयत को पंजीबद्ध होना माना है। लेकिन भूमि स्वअर्जित नहीं होकर पैतृक सम्पति होना मानते हुए प्रकरण को खारिज करते हुए पटवारी हल्का नियमानुसार वारिसान की जॉच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही करने के आदेश दिनांक 27.02.2018 को दिये गये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह प्रथम अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। तहत का अभिलेख मंगाया गया। वकील अपीलान्ट एवं राज्य अभिभाषक की बहस दिनांक 19.02.2018 को सुनी गई। रेस्पों. संख्या 1 से 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। लिखित बहस प्रस्तुत करने का एक सप्ताह का अवसर दिया गया। तत्पश्चात भी कोई उपस्थित नही ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विपरित होकर कानून एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से प्रथम दृष्ट्या खारिज योग्य है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी की ओर से पेश जवाब व प्रार्थना पत्र की और घोर नही कर रेस्पों.संख्या 5 के द्वारा बिना घोर किये और अपीलार्थी को जिरह का अवसर दिये बगैर ही रेस्पों. के प्रार्थना पत्र पर एक तरफा सुनवाई कर निर्णय देने में भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.10.2016 को रेस्पो. संख्या 1 से 3 के तथा उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के बाद भी और अपीलार्थी के उपस्थित होने के बाद भी एक तरफा कार्यवाही चला कर आगे तारीख देदी गई जबकि प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त हो जाता है । आदेशिका दिनांक 17.11.2016 की आदेशिका से स्पष्ट है कि दिनांक 03.11.2016 को पेश प्रार्थना पत्र पर दिनांक 24.11.2016 को निर्णय दिया जाना है किन्तु दिनांक 24.11.2016 को कोई निर्णय नहीं सुनाया गया जो आदेश आज दिनांक तक नहीं सुनाया गया है। यह भी कथन किया कि रेस्पों. संख्या 1 से 3 के प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि मानसिंह की स्व. अर्जित है और पैतृक मानकर निर्णय करने में भारी भूल की है। अन्त में अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.02.2017 खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील राज्य अभिभाषक ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि स्वअर्जित होने का कोई अंकन नहीं होना माना है एवं नियमानुसार वसीयत स्वअर्जित भूमि नहीं होकर पैतृक है जो साबित है। इसी आधार पर तहसीलदार ने प्रकरण खारिज करते हुए पटवारी हल्का नियमानुसार वारिसान की जॉच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही करने के आदेश दिनांक 27.02.2018 को दिये गये। उक्त आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं किये जाने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखने का कथन किया।

हमने वकील अपीलान्ट एवं राज्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। ग्राम करजीया में स्थित खसरा नम्बर 153 रकबा 0.03 बिस्वा का 3/4 तथा खसरा संख्या 50, 215 से 221 ,225, 226 कुल किता:–10 कुल रकबा 16 बीधा 15 बिस्वा का 1/2 हिस्सा का मूल खातेदार स्व. श्री मानसिंह जी थे। रेस्पों. संख्या 1 से 3 के पिता भवानी सिंह एवं उनके छोटे

भाई मानसिंह दोनों सगे भाई थे। श्री मान सिंह का विवाह श्रीमति दलकुंवर के साथ हुआ था। शादी के एक वर्ष बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया था तथा उनकी एक मात्र विधवा श्रीमती दलकुँवर जो एक मात्र उत्तराधिकारी थी। उनके कोई पुत्र – पुत्री संतान नहीं थी। श्रीमती दलकुंवर ने एक पंजीकृत अन्तिम इच्छा पत्र दिनांक 20.03.2013 को रेस्पों. संख्या 1 से 3 के पक्ष में निष्पादित किया गया। रेस्पों. संख्या 1 से 3 ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार नाथद्वार के समक्ष वसीयत अनुसार वर्णित भूमि अपने नाम पर दर्ज किये जाने बाबत पेश किया गया। तहसीलदार (भू.अ) नाथद्वारा ने रेस्पों. संख्या 1 से 3 के पक्ष में वर्णित भूमि की वसीयत को पंजीबद्ध होना स्पष्ट माना है। परन्तु कथित भूमि स्वअर्जित भूमि नहीं होकर पैतृक सम्पति होना साबित है तथा पटवारी रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त भूमि का स्वअर्जित होने का कोई अंकन नहीं है। ऐसी स्थिति में वसीयत पत्र में अंकित स्वअर्जित नहीं होकर पैतृक होने से तहसीलदार (भू.अ.) नाथद्वारा ने रेस्पों. संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए पटवारी हल्का नियमानुसार वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जिससे हम उक्त आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। तहसीलदार (भू.अ.) नाथद्वारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2017 बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर